प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 25.10.2023

- **थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना अकबरपुर पर मु0अ0सं0 466/2025 धारा 303(2)/333/115(2)/351(3) बीएनएस बनाम राहुल पुत्र स्व0 बुद्धालाल निवासी सराय गढेवा, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे, अभियुक्त राहुल उपरोक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुस कर सोने चाँदी के जेवरात व मोबाइल चोरी कर लेना तथा वादिनी के मुंह पर ब्लेड से वार करने जैसे जघन्य अपराध कारित किये गये हैं एवं अपराध करने के पश्चात से ही लगातार वादिनी मुकदमा व उनके परिजनों को जरिए व्हाट्सएप्प कॉल मुकदमा वापस लेने के लिए भयभीत कर रहा था। मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त राहुल उपरोक्त के व्हाट्सएप्प नंबर को सर्विलाँस व साइबर सेल की सहायता से ट्रैस कर मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राहुल पुत्र स्व0 बुद्धालाल निवासी सराय गढेवा, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 25.10.2025 को ज्योतिष मोड़ थाना क्षेत्र अकबरपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। दौराने विवेचना बयान वादिनी व बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 303(2)/333 बीएनएस का लोप करते हुए, धारा 305/317(2)/352 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त राहुल उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय से समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राहुल पुत्र स्व0 बुद्धालाल उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम सराय गढेवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मुझे जानकारी मिली कि मेरे खिलाफ थाना अकबरपुर में लिखे मुकदमे में पुलिस मुझे ढूंढ़ रही है इसलिए मैं आज कहीं बाहर जाने की फिराक में अकबरपुर बस पकड़ने जा रहा था और पुलिस वालों को अचानक सामने देख पकड़े जाने की डर से भागने का प्रयास कर रहा था। उक्त व्यक्ति से बरामद मोबाइल व मुकदमा उपरोक्त में चोरी किये गये सामान के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि मैनें यह मोबाइल वार्ड नं0-15 अयोध्या नगर कस्बा अकबरपुर से दिनांक 16.10.2025 को चुराया था तथा ब्लेड से मैने संगीता मिश्रा के चेहरे पर कई बार वार किया था एवं कीपैड मोबाइल व जेवरात को चोरी के अगले दिन ही राह चलते लोगों को बेच दिया था और उन लोगों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

चोरी के सामान को बेचकर प्राप्त रूपयों को मैं अपने ऊपर खर्च लिया और जुआं भी खेल लिया था। मेरे पास यह एण्ड्रायड मोबाइल है, यह भी मैं किसी न किसी को बेच ही देता किन्तु आज आपने मुझे पकड़ लिया।

बरामदगी का विवरण-

एक मोबाइल फोन एन्ड्राएड इनफिनिक्स कंपनी रंग नीला।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 466/2025 धारा 305/115(2)/352/351(3)/317(2) बीएनएस थाना अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात।

2.मु0अ0सं0 320/2025 धारा 352/351(2) बीएनएस थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अकबरपुर पुलिस